प्रेस विज्ञप्ति

16.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने चिकित्सा उपकरण एवं अभिकर्मक (री-एजेंट) खरीद घोटाले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 13.03.2026 को लगभग 80.36 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है।

रायपुर स्थित एसीबी/ईओडब्ल्यू द्वारा मोक्षित कॉर्पोरेशन और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससीएल) और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (डीएचएस) के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ दायर एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। यह आरोप लगाया गया था कि मेसर्स मोक्षित कॉर्पोरेशन के पार्टनर शशांक चोपड़ा ने डीएचएस और सीजीएमएससीएल के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके निविदा प्रक्रियाओं में हेरफेर किया, मांग को फैबरिकेट किया और सीजीएमएससीएल को चिकित्सा उपकरण और अभिकर्मक अत्यधिक बढ़ी हुई कीमतों पर आपूर्ति किए, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ और इसके परिणामस्वरूप उन्हें और उनके सहयोगियों को अवैध लाभ प्राप्त हुआ।

पीएमएलए के तहत की गई जांच से पता चला है कि अनुसूचित अपराध को अंजाम देने के माध्यम से अपराध की आय (पीओसी) उत्पन्न की गई थी, अर्थात् सार्वजनिक अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके निविदा प्रक्रिया में हेरफेर करके सीजीएमएससीएल को अत्यधिक कीमतों पर चिकित्सा उपकरण और अभिकर्मकों की खरीद और आपूर्ति की गई थी। आगे यह भी पता चला है कि शशांक चोपड़ा ने अपने सहयोगियों की मदद से कई संस्थाओं/कंपनियों का गठन करके और प्रशिक्षण एवं रखरखाव सेवाओं के नाम पर ऐसी संस्थाओं के साथ फर्जी सेवा समझौते करके अपराध की धनराशि को कथित तौर पर छिपाया। इसके बाद, बड़ी मात्रा में धनराशि नकद में निकाली गई और कथित तौर पर अवैध रिश्वत के भुगतान और संपत्ति अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल की गई।

अपराध से प्राप्त धन के और अधिक दुरुपयोग को रोकने के लिए, ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 5 के प्रावधानों के तहत 13.03.2026 को लगभग 80.36 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। जब्त की गई संपत्तियों में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्यों में स्थित आवासीय भूखंड, कारखाने, फ्लैट आदि शामिल हैं, जो आरोपी व्यक्तियों और उनसे जुड़े संगठनों के नाम पर हैं और जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें अपराध से प्राप्त धन से अर्जित किया गया है।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इससे पहले, पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत अभियुक्तों और उनके सहयोगियों से जुड़े कई स्थानों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाए गए थे, जिसके दौरान पोर्श, मर्सिडीज और मिनी कूपर जैसी महंगी गाड़ियों सहित 43 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त/फ्रीज की गई थी। इसके अलावा, मुख्य अभियुक्त शशांक चोपड़ा को 14.01.2026 को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया था।

इस अस्थायी कुर्की के साथ, मामले में कुर्क/जब्त/फ्रीज की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 123 करोड़ रुपये हो गया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।